चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++

पत्रांक :– पी०ए०/4573
दिनांक :– ~~08.12.2025~~ 10-12-2025

अनुस्मारक – द्वितीय
अतिमहत्वपूर्ण–समयबद्ध

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय/महोदया,

कृपया, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्रांकः 2791/सत्तर–3–2025–70–3005(001)/02/2025, दिनांक 27.10.2025 तथा उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक पी०ए०/4539A दिनांक 06.12.2025 तथा पत्रांकः पी०ए०/4556 दिनांक 08.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण को अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के द्वारा आपको https://ntf.education.gov.in पर क्लिक कर Institution Representative पर महाविद्यालय/संस्थान का सर्वेक्षण को पूर्ण करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सर्वेक्षण फार्म दिनांक 10.12.2025 तक पूर्ण कराने एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त सूचना अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि http://ntf.education.gov.in पोर्टल पर सर्वेक्षण फार्म भरवाते हुए संस्थान/कॉलेज/विभाग में अध्ययनरत् शिक्षकों एवं छात्र/छात्रा एवं अभिभाव की सूचना दिनांक 11.12.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे तक registrar@ccsuniversity.ac.in पर प्रत्येक दशा में निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करे। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः उक्त हेतु आपका व्यक्तिगत प्रयास अपेक्षित है।

प्रारूप

क्रम संख्या	विभाग का नाम	शिक्षकों की संख्या	छात्र/छात्रा की संख्या	अभिभावकों की संख्या
01.	02	03	04	05

भवदीय,

10-12-25

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

01 वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. परीक्षा नियत्रंक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. सम्बन्धित पत्रावली।

10-12-25

कुलसचिव